

Transport Business Registration — Fleet / Aggregator / Driving School

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग • तैयार किया गया 13 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

परिवहन व्यवसाय — बेड़ा संचालक, कैब/माल एग्रीगेटर, या मोटर ड्राइविंग स्कूल — के लिए लाइसेंस/पंजीकरण चाहिए। यह टूल सही लाइसेंस, पात्रता व दस्तावेज़ तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

व्यवसाय-प्रकार हेतु सही लाइसेंस/पंजीकरण, पात्रता, बुनियादी-ढाँचा व अनुपालन आवश्यकताएँ तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

आउटपुट का उपयोग परिवहन व्यवसाय हेतु सही लाइसेंस/पंजीकरण (एग्रीगेटर लाइसेंस, ड्राइविंग-स्कूल लाइसेंस, या बेड़ा परमिट) दाखिल करने, आवश्यक ढाँचा स्थापित करने, और शुल्क व सुरक्षा-जमा चुकाने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

राज्य परिवहन विभाग (एग्रीगेटर लाइसेंस), लाइसेंसिंग प्राधिकरण (ड्राइविंग स्कूल), या RTA (बेड़ा परमिट) — परिवहन पोर्टल के माध्यम से।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

व्यवसाय दस्तावेज़, ढाँचा-प्रमाण (एग्रीगेटर हेतु कंट्रोल-रूम व ऐप; ड्राइविंग-स्कूल हेतु परिसर, मैदान व वाहन), बीमा व प्रवर्तक विवरण सहित आवेदन करें; निरीक्षण हो सकता है।

शुल्क और खर्च

लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा-जमा (एग्रीगेटर हेतु उल्लेखनीय); नवीनीकरण व अनुपालन शर्तें लागू।

इसकी जाँच किससे कराएँ

आपके राज्य के Motor Vehicle Aggregator Guidelines या ड्राइविंग-स्कूल नियमों से परिचित परिवहन/कानूनी सलाहकार।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

बिना लाइसेंस एग्रीगेटर या ड्राइविंग स्कूल जुर्माना व बंदी लाता है; ढाँचा व अनुपालन शर्तें विशिष्ट व राज्य-वार। वर्तमान नियम प्राधिकरण से पुष्टि करें।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।